

Title: Announcement regarding the Joint Sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha on 26th March, 2002 for discussion and voting on Prevention of Terrorism Bill, 2002 as summoned by the Hon'ble President.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I have to inform the hon. Members that the hon. President has already sent a message of a Joint Sitting, but the date was not mentioned in the normal *pro forma*. The date is not mentioned. The Government intends to have the Joint Sitting on the 26th of March at 11 a.m. This is for the information of the hon. Members.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): I wish you all success!

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Thank you. ...*(Interruptions)*

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): Is there no need to issue separate summons for this?
...*(Interruptions)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: There will be no summons. The Parliament is already in Session. It is a Joint meeting or Joint Session. So, there will be no summons. It will be published in the bulletin of both the Houses. There is no need for summons. ...*(Interruptions)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से हम लोगों को सूचना दी गई कि महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश है कि संयुक्त अधिवेशन होगा। उस में न तारीख और न ही समय का उल्लेख था। हम कहां से सीखने जायें या हमें कोई संविधान बताये। महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपके यहां डेट और समय की सूचना नहीं दी जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री हम लोगों को सदन में यह सूचना दे रहे हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आया कि उन्होंने संयुक्त अधिवेशन आहूत किया है जिसमें तिथि और समय का निर्धारण नहीं किया गया जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है। संयुक्त अधिवेशन ऐतिहासिक महत्व का होता है। आज तक के संसदीय इतिहास में यह दो बार हुआ है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अपनी इन्टेंशन बताई है कि वे 26 मार्च को करना चाहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के मन में जो आता है, मनमानी करते हैं। नियम और परम्परा को ताक पर रख दिया गया। यह कैसा महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश है? संसदीय कार्य मंत्री जी वहां से बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य शीघ्र बैठेंगे तो मैं असलियत बता पाऊंगा? मैं पी.एम.बी. का समय नहीं लेना चाहता हूं और निजी सदस्यों का समय न लूं, इसलिये संक्षेप में स्थिति बताना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि यह संयुक्त अधिवेशन नहीं, संयुक्त बैठक है। आप तो साधारण रूप से इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। यह संयुक्त अधिवेशन नहीं, यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। दूसरा, यह संयुक्त बैठक पहली बार नहीं हो रही है, तीसरी बार हो रही है। जिस प्रकार पहले दो बार की परम्परा रही है, उसी प्रकार का तीसरी बार के लिये पत्र है और शब्दशः है। पिछली बार जब बैठक हुई थी, उस जैसी स्थिति है। जब कल राज्य सभा ने यह कह दिया कि पोटो बिल को रिजेक्ट किया गया है तो हमने प्रधानमंत्री जी से आदेश लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को सूचित किया। उसमें हमने तिथि सूचित की और उसी के अनुसार सरकार की मंशा बतलाई। उनसे अनुमति मांगी गई। आज प्रातःकाल राष्ट्रपति भवन में पूरे पुराने कागज़ात उन्होंने देखे जो नियमानुसार पिछले संयुक्त बैठक के लिये हुये थे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है और फाइल मेरे पास पहुंच गई है। उसमें उनका वही संदेश है जैसा पहले मैसेज आया था लेकिन वह तिथि के अनुसार नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य से अध्यक्ष नहीं हैं, आप उनके स्थान पर बैठे हुये हैं, मैंने आपको पत्र लिखा जिसमें तिथि की जानकारी दी है। इसके साथ-साथ मैंने व्यवस्था की भी आपसे प्रार्थना की है। यही पत्र मैंने माननीय उप-राष्ट्रपति जी को राज्य सभा के सभापति के रूप में लिखा है। अगर मैं चाहता तो यहां बोलता भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह बुलेटिन छप जाता और लोगो को आना पड़ता।

लेकिन आपकी सुविधा के लिए खड़े होकर अगर मैं कल का बुलेटिन आज बता रहा हूं तो मैं समझता हूं कि कल की खबर आज देने के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए, मुझे गाली क्यों मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आता।

SHRI VAIKO : Do you mean separate summons will be issued?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: No, no summons will be issued. The House is already in Session. It is only a joint meeting of both the Houses of Parliament. No separate summon was ever issued on the earlier two occasions.

SHRI VAIKO : In the year 1987, I also attended the joint meeting. No summons were issued then....*(Interruptions)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I regret, Sir. The Lok Sabha Secretariat has informed me that they will issue the summons. I am sorry about it.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, 22 तारीख के बाद छुट्टी हो गई है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister has corrected himself.

...(Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, I am on a point of information. The Lok Sabha Session will be over today. The adjournment of the House is not *sine die*. It is a simple adjournment. So, how do we meet again? We cannot meet just on publication of Bulletin. Summons will have to be there.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I have already said that. I have corrected myself.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस घटना चक्र के देखने से संसदीय कार्य मंत्री जी की ओवर-एक्टिंग पर केवल मैंने सवाल उठाया कि आसन से निदेश हुआ है, हम लोगों को सूचना मिली है कि राष्ट्रपति महोदय का संदेश है, कुछ और समय नहीं उठाते संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा हुआ था, वह अपने आप बता देंगे कि हम कितनी ओवर-एक्टिंग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महामहिम राष्ट्रपति जी को डेट के बारे में हमने भेजा है, उसके बाद हम आपको बता देंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रीमैच्योर उत्तर कैसे दिया। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister has communicated the Government's intention. What is wrong in that? There is nothing wrong in that.
